# **OVERVIEW**

In this chapter we shall discuss the role of international organisations after the collapse of the Soviet Union. We shall examine how, in this emerging world, there were calls for the restructuring of international organisations to cope with various new challenges including the rise of US power. The potential reform of the United Nations **Security Council is an** interesting case of the reform process and its difficulties.


इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ंगे। हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थीं। इन्हीं चुनौतियों में एक थी अमरीका की शक्ति का बढ्ना। सुधार की प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् में होने वाला बदलाव है।

# **OVERVIEW**

We then turn to India's involvement in the UN and its view of Security Council reforms. The chapter closes by asking if the UN can play any role in dealing with a world dominated by one superpower. In this chapter we also look at some other transnational organisations that are playing a crucial role.

संयुक्त राष्ट्रसंघ से भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय है। इस अध्याय का अंत इस सवाल से किया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ एसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा की गई है।

# **OVERVIEW**



**During June 2006, Israel** attacked Lebanon, saying that it was necessary to control the militant group called Hezbollah. Large numbers of civilians were killed and many public buildings and even residential areas came under Israeli bombardment. The UN passed a resolution on this only in August and the Israel army withdrew from the region only in October. Both these cartoons comment on the role of the UN and its **Secretary-General in this** episode.

जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिज़बुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला ज़रूरी है। भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए। कई सार्वजनिक इमारत और रिहायशी इलाके इजराइली बमबारी की चपेट में आए। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद यानी अगस्त में पास किया और इजराइली सेना इस इलाके से अक्टूबर में ही वापस हो सकी। ये दोनों कार्टून इस संकट में संयुक्त राष्ट्रसंघ और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी करते हैं।

Read the two cartoons on this page. Both the cartoons comment on the ineffectiveness of the United Nations Organisation, usually referred to as the UN, in the Lebanon crisis in 2006. Both the cartoons represent the kind of opinions that we often hear about the UN.

एक ओर इस तरह के कार्ट्रन और टिप्पणियां हैं तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ को आज की दुनिया का सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमुमन 'यू एन' कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत-से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं।

On the other hand, we also find that the UN is generally regarded as the most important international organisation in today's world. In the eyes of many people all over the world, it is indispensable and represents the great hope of humanity for peace and progress. Why do we then need organisations like the **UN?** Let us hear two insiders:

यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसे संगठनों की ज़रूरत क्यों है? आइए, यहां एसे दो लोगों के विचार पढते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरुनी जानकारी है

"The United Nations was not created to take humanity to heaven, but to save it from hell." — Dag Hammarskjold, the UN's second Secretary-General.

'संयुक्त राष्ट्रसंघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं बल्क उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है।'' – डेग हैमरसोल्ड; संयुक्त राष्ट्रसंघ के दूसरे महासचिव

"Talking shop? Yes, there are a lot of speeches and meetings at the U.N., especially during the annual sessions of the General Assembly. But as Churchill put it, jaw-jaw is better than war-war. Isn't it better to have one place where all... countries in the world can get together, bore each other sometimes with their words rather than bore holes into each other on the battlefield?"

''बतकही की चौपाल, ठीक कहा आपने! संयुक्त राष्ट्रसंघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं - खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन. जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि ज़बान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं कि एक एसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इक; हों और कभी-कभार अपनी बातों से एक-दूसरे का सर खाएँ, बनिस्पत लड़ाई के मैदान में एक-दूसरे का सर कलम करने के?"

 Shashi Tharoor, the former UN Under-SecretaryGeneral for Communications and Public Information. - शशि थरूर; संयुक्त राष्ट्रसंघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव

These two quotes suggest something important. International organisations are not the answer to everything, but they are important. **International** organisations help with matters of war and peace. They also help countries cooperate to make better living conditions for us all.

ये दो उद्धरण एक महत्त्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज़ की दवा नहीं लेकिन वे महत्त्वपूर्ण ज़रूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर

जीवन-स्थितियां कायम हों।

**Countries have conflicts** and differences with each other. That does not necessarily mean they must go to war to deal with their antagonisms. They can, instead, discuss contentious issues and find peaceful solutions; indeed, even though this is rarely noticed, most conflicts and differences are resolved without going to war.

देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वैर-विरोध के कारण वे एक-दूसरे से युद्ध ठान लें। इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूँढ सकते हैं। वस्तुत: अधिकांश झगडों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है, लेकिन यह एक एसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है।

The role of an international organisation can be important in this context. An international organisation is not a super-state with authority over its members. It is created by and responds to states. It comes into being when states agree to its creation. Once created, it can help member states resolve their problems peacefully.

इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी एसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं।

International organisations are helpful in another way. Nations can usually see that there are some things they must do together. There are issues that are so challenging that they can only be dealt with when everyone works together. Disease is an example. Some diseases can only be eradicated if everyone in the world cooperates in inoculating or vaccinating their populations. Or take global warming and its effects.

अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम एसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है

जब सभी साथ मिलकर काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। कुछ रोगों को तब ही खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। हम 'ग्लोबल वामिंग' (विश्वव्यापी तापवृद्धि) और उसके प्रभावोंका ही उदाहरण लें।

As temperatures rise because of the increase in greenhouse gases in the atmosphere, there is a danger that sea levels will also rise, thereby submerging many coastal areas of the world including huge cities. Of course, each country can try to find its own solution to the effects of global warming. But in the end a more effective approach is to stop the warming itself. This requires at least all of the major industrial powers to cooperate.

वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्रतल की ऊँचाई बढ़ने का ख़तरा है। अगर एसा हुआ तो विश्व के समुद्रतटीय इलाके जिसमें बड़े-बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाऐंगे। हर देश अपने-अपने तरीके से 'ग्लोबल वामिंग' के दुष्प्रभावों का समाधान ढूँढ सकता है। तब भी अंतत: सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक तापवृद्धि को रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना ज़रुरी है।

Unfortunately, recognising the need for cooperation and actually cooperating are two different things. Nations can recognise the need to cooperate but cannot always agree on how best to do so, how to share the costs of cooperating, how to make sure that the benefits of cooperating are justly divided, and how to ensure that others do not break their end of the bargain and cheat on an agreement.

दुर्भाग्य से, सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग-अलग बातें हैं। देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकते हैं लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो – इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन कितना उठाए, सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बँटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे हो,मोल-तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई हैं उनसे कोई भी दगा न करे-इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नही होते।

With the end of the Cold War, we can see that the UN may have a slightly different role. As the **United States and its allies** emerged victorious, there was concern amongst many governments and peoples that the Western countries led by the US would be so powerful that there would be no check against their wishes and desires. Can the UN serve to promote dialogue and discussion with the US in particular, and could it limit the power of the American government? We shall try to answer this question at the end of the chapter.

शीतयुद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्रसंघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकताहै – हम एसा अनुमान कर सकते हैं। अमरीकाऔर उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं। एसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इसबात की चिंता सता रही है कि अमरीका की अगुआई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएँगे कि उनकी इच्छाओं-आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ अमरीका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है और क्या यह संगठन अमरीकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे।

The First World War encouraged the world to invest in an international organisation to deal with conflict. Many believed that such an organisation would help the world to avoid war. As a result, the **League of Nations was** born. However, despite its initial success, it could not prevent the Second World War (1939-45). Many more people died and were wounded in this war than ever before.

पहले विश्वयुद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगडों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास ज़रूर किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप 'लीग ऑव नेशंस' का जन्म हुआ। श्रुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्वयुद्ध (1939-45) न रोक सका। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज्यादा लोग मारे गये और घायल हुए।

The UN was founded as a successor to the League of Nations. It was established in 1945 immediately after the Second World War. The organisation was set up through the signing of the United Nations Charter by 51 states. It tried to achieve what the League could not between the two world wars. The UN's objective is to prevent international conflict and to facilitate cooperation among states.

'लीग ऑव नेशंस' के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन् 1945 में इसे स्थापित किया गया। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। दो विश्वयुद्धों के बीच 'लीग ऑव नेशंस' जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्रसंघ ने की।

It tried to achieve what the League could not between the two world wars. The UN's objective is to prevent international conflict and to facilitate cooperation among states. It was founded with the hope that it would act to stop the conflicts between states escalating into war and, if war broke out, to limit the extent of hostilities. Furthermore, since conflicts often arose from the lack of social and economic development, the UN was intended to bring countries together to improve the prospects of social and economic development all over the world.

संयुक्त राष्ट्रसंघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी एसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं और अगर युद्ध छिड ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा, चूँकि झगड़े अक्सर सामाजिक-आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं इसलिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक-आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है।

By 2011, the UN had 193 member states. These includeed almost all independent states. In the UN General Assembly, all members have one vote each. In the UN Security Council, there are five permanent members. These are: the **United States, Russia, the** United Kingdom, France and China. These states were selected as permanent members as they were the most powerful immediately after the Second World War and because they constituted the victors in the War.

2011 तक संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा में हरेक सदस्य को एक वोट हासिल है। इसकी सुरक्षा परिषद में पाँच स्थायी सदस्य हैं। इनके नाम हैं - अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दूसरे विश्वयुद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया।

### REFORM OF THE UN AFTER THE COLD WAR

The UN's most visible public figure, and the representative head, is the Secretary-General. The present Secretary-General is António **Guterres. He is the ninth Secretary-General of the** UN. He took over as the Secretary-General on 1 January 2017. He was the **Prime Minister of Portugal** (1995-2002) and the UN **High Commissioner for** Refugees (2005-2015).

संयुक्त राष्ट्रसंघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। वर्तमान महासचिव एटोनियो गुटेरेस। वह संयुक्त राष्ट्रसंघ के नौवें महासचिव हैं। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2015 तक युनाइटेड नेशांस हाई कमीशनर फॉर रिफ्यूजीज रहे।

The UN consists of many different structures and agencies. War and peace and differences between member states are discussed in the **General Assembly as well as the** Security Council. Social and economic issues are dealt with by many agencies including the World Health Organisation (WHO), the United Nations Development Programme (UNDP), the United **Nations Human Rights** Commission (UNHRC), the United **Nations High Commission for** Refugees (UNHCR), the United **Nations Children's Fund** (UNICEF), and the United Nations **Educational, Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO),** among others.

संयुक्त राष्ट्रसंघ की कई शाखाएँ और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर-विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद् में भी। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निबटने के लिए कई एजेंसियां हैं जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन- भ्ट), संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (य्नाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम-न्छक्च), संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार आयोग (य्नाइटेड नेशांस ह्य्मन राइट्स कमिशन - न्छभ्त्०), संयुक्त राष्ट्रसंघ शरणार्थी उच्चायोग (य्नाइटेड नेशंस हाई कमिशन फॉर रिफ्यूजीज - न्छभ्ब्त), संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल कोष (य्नाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड- न्छप्बर्थ) और संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन (य्नाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल आर्गनाइजेशन - न्छम्ळ) शामिल हैं।

# Organs of UN

- One major problem of the League of Nations was the lack of division of responsibility, no way to coordinate military or economics actions between countries.
- UN was created with 5 major 'organs' to avoid these issues
- The Security Council
- The General Assembly
- The Secretariat
- The Economic and Social Counsil
- The International Court of Justice
- \*\* The United Nations Trusteeship Council ( is currently inactive)

# **The Secretariat**

#### Function:

- It provides studies, information, and facilities needed by United Nations bodies for their meetings.
- It also carries out tasks as directed by the UN Security council, the UN General Assembly, the UN Economic and Social Council, and other U.N. bodies

#### Composition:

 The United Nations Secretariat is headed by the Secretary-General, assisted by a staff of international civil servants worldwide.

#### Working

- Each UN member country is enjoined to respect the international character of the Secretariat and not seek to influence its staff.
- The secretary-General alone is responsible for staff selection.

# **General Assembly**

- Functions:
- To oversee the budget of the United Nations,
- Appoint the non-permanent members to the Security Council
- Receive reports from other parts of the United Nations
- Make recommendations is the form of the General Assembly Resolutions
- Composition: Made up of every country in the United Nations
- Head: President of the United Nations General Assembly

# **General Assembly**

## **∜Working:**

- Its composition, functions, powers, voting, and procedures are set out in chapter IV the United Charter
- Every country gets one vote
- On important questions, a two-thirds majority of those present and voting is required.
- Cannot make binding decisions. All agreements are only recommendations
- The recommendations of the General Assembly are seen as the moral authority in international disputes

# The International Court of Justice

- ❖ No. of Judges: 15 elected judges
- **❖Jurisdiction: Worldwide, 192 State Parties**
- **❖Working:**
- Its purpose is to adjudicate disputes among states.
- Case related to war crimes, illegal state interference and ethnic cleansing
- Participation by states is optional, but if a state choose to go, the decisions made by the court are binding
- Also provides advisory opinions to other organs upon request

# **Security Council**

#### **\*Function:**

- Responsible for maintaining international peace and security
- Composition:
- 5 permanent (US, Britain, France, Russia, China)
- 10 non-permanent
- Head : Rotates between members
- **᠅**Working:
- make binding decisions about international disputes
- Recommend mediations, send peacekeeping missions, impose economic sanctions and arms embargos
- Decisions must be passed by 9/5 members and all of the 5 permanent members
- A negative vote, or veto, also known as the rule of "great power unanimity", by a permanent member prevents adoption of a proposal

# The Economic and Social Council

- Function: It is responsible for coordinating the economic, social and related work of 14 UN specialized agencies, their functional commissions and five regional commissions
- Established: 1945
- \* Head: President of ECOSOC (six month term)
- Composition:
- ECOSOC has 54 members
- working:
- it holds a four-week session each year in july
- Since 1998, it has also held a meeting each April with finance ministers heading key committees of the World Bank and the International Monetary Fund ( IMF).
- 1) Also works with non-governmental bodies, making it a key connection between the UN and civil society
- 2) Oversees set up of organizations to address economic and social issues internationally

Let us look at both sets of reforms, with an emphasis on reform of the structures and processes.

आइए, हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नज़र दौड़ाएँ। इस चर्चा में हम ज्यादा जोर ढाँचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे।

The UN was established in 1945 immediately after the **Second World War. The way** it was organised and the way it functioned reflected the realities of world politics after the Second World War. After the Cold War, those realities are different. Here are some of the changes that have occurred: The Soviet Union has collapsed. The US is the strongest power. The relationship between Russia, the successor to the Soviet Union, and the US is much more cooperative.,

संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना दूसरे विश्वयुद्ध के तत्काल बाद सन् 1945 में हुई थी। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयां थीं उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएँ झलकती थीं। शीतयुद्ध केबाद ये सच्चाइयां बदल गई हैं। 1991 से आए बदलावों में से कुछ निम्नलिखित हैं – सोवियत संघ बिखर गया। अमरीका सबसे ज्यादा ताकतवर है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमरीका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक हैं।

## REFORM OF THE UN AFTER THE COLD WAR

China is fast emerging as a great power, and India also is growing rapidly. The economies of Asia are growing at an unprecedented rate. Many new countries have joined the UN (as they became independent from the Soviet Union or former communist states in eastern **Europe). A whole new set of** challenges confronts the world (genocide, civil war, ethnic conflict, terrorism, nuclear proliferation, climate change, environmental degradation, epidemics).

चीन बडी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है; भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल हुए हैं (ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी य्रोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं)। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नयी कड़ी (जनसंहार, गृहयुद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाण्विक प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी) मौजूद है।

### REFORM OF THE UN AFTER THE COLD WAR

In this situation, in 1989, as the Cold War was ending, the question facing the world was: is the UN doing enough? Is it equipped to do what is required? What should it be doing? And how? What reforms are necessary to make it work better? For the past decade and a half, member states have been trying to find satisfactory and practical answers to these questions.

एसी दशा में जब शीतयुद्ध का अंत (1989) हो रहा था तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ का होना पर्याप्त है? जो कुछ करना ज़रुरी है क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्रसंघ सक्षम है? इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? संयुक्त राष्ट्रसंघ बेहतर ढंग से काम कर सके इसके लिए कौन-से सुधार ज़रुरी हैं? पिछले पंद्रह सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यावहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूँढ्ने की कोशिश कर रहे हैं।

### REFORM OF STRUCTURES AND PROCESSES

While the case for reform has widespread support, getting agreement on what to do is difficult. Let us examine the debate over reform of the UN **Security Council. In** 1992, the UN General Assembly adopted a resolution. The resolution reflected three main complaints: सुधार होने चाहिए – इस सवाल पर व्यापक सहमति है लेकिन सुधार कैसे किया जाए का मसला कठिन है। इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहां हम संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। सन् 1992 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में तीन मुख्य शिकायतों का जिक्र था

### REFORM OF STRUCTURES AND PROCESSES

The Security Council no longer represents contemporary political realities. Its decisions reflect only Western values and interests and are dominated by a few powers. It lacks equitable representation.

सुरक्षा परिषद् अब राजनीतिक वास्तिवकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। स इसके फ़ैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फ़ैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। स सुरक्षा परिषद् में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है।

### REFORM OF STRUCTURES AND PROCESSES

In view of these growing demands for the restructuring of the UN, on 1 January 1997, the **UN Secretary-General** Kofi Annan initiated an inquiry into how the UN should be reformed. How, for instance, should new Security Council members be chosen?

संयुक्त राष्ट्रसंघ के ढाँचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई माँगों के मद्देनज़र एक जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जाँच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराए जाएँ। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए?

In the years since then, the following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and nonpermanent members of the Security Council. A new member, it has been suggested, should be: A major economic power A major military power A substantial contributor to the UN budget A big nation in terms of its population A nation that respects democracy and human rights A country that would make the Council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic systems, and culture clearly,

इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सुझाव आए कि एक नए सदस्य को - स बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। स बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। स संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट में एसे देश का योगदान ज्यादा हो। स आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट हो। स एसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। स यह देश एसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो।

each of these criteria has some validity. Governments saw advantages in some criteria and disadvantages in others depending on their interests and aspirations. Even if they had no desire to be members themselves, countries could see that the criteria were problematic. How big an economic or military power did you have to be to qualify for Security Council membership? What level of budget contribution would enable a state to buy its way into the Council? Was a big population an asset or a liability for a country trying to play a bigger role in the world? If respect for democracy and human rights was the criteria, countries with excellent records would be in line to be members; but would they be effective as Council members?

स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक की कुछ न कुछ वैधता है। सरकारें अपने-अपने हित और महÙवाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती हैं। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद् की सदस्यता के लिए इच्छुक न हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। सुरक्षा परिषद् की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य-ताकत होनी चाहिए? कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके? कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक? अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के Çित सम्मान ही कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकार्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश 'परिषद्' के सदस्य के रूप में भावकारी होंगे?

Furthermore, how was the matter of representation to be resolved? Did equitable representation in geographical terms mean that there should be one seat each from Asia, Africa, and Latin America and the Caribbean? Should the representation, on the other hand, be by regions or sub-regions (rather than continents)? Why should the issue of equitable representation be decided by geography? Why not by levels of economic development? Why not, in other words, give more seats to members of the developing world? Even here, there are difficulties. The developing world consists of countries at many different levels of development. What about culture? Should different cultures or 'civilisations' be given representation in a more balanced way? How does one divide the world by civilisations or cultures given that nations have so many cultural streams within their borders?

इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए? क्या भौगोलिक दुष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया. अफ्रीका, लातिनी अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र की एक-एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए? एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाए क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए। प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए? आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए? अगर आर्थिक विकास को आधार मानें तब भी कठिनाई है। विकासशील देश विकास की अलग-अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। फिर संस्कृति का क्या करें? क्या विभिन्न संस्कृतियों या 'सभ्यताओं' को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए?

A related issue was to change the nature of membership altogether. Some insisted, for instance, that the veto power of the five permanent members be abolished. Many perceived the veto to be in conflict with the concept of democracy and sovereign equality in the UN and thought that the veto was no longer right or relevant.

कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बाँटकर कैसे देख सकता है। जब कि किसी एक ही राष्ट के भीतर विभिन्न संस्कृति-धाराएँ उपस्थित होती हैं? इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर, कुछ का जोर था कि पाँच स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार (वीटो पावर) खत्म होना चाहिए। अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता अत: यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है।

## WHY INTERNATIONAL ORGANISATIONS?

In the Security Council, there are five permanent members and ten non-permanent members. The **Charter gave the permanent** members a privileged position to bring about stability in the world after the Second World War. The main privileges of the five permanent members are permanency and the veto power. The non-permanent members serve for only two years at a time and give way after that period to newly elected members. A country cannot be re-elected immediately after completing a term of two years. The non-permanent members are elected in a manner so that they represent all continents of the world.

सुरक्षा परिषद् में पाँच स्थायी और दस अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र में पाँच स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। पाँच स्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा-परिषद् में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें 'वीटो' का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य

दो वषो के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। दो साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके।

## WHY INTERNATIONAL ORGANISATIONS?

Most importantly, the nonpermanent members do not have the veto power. What is the veto power? In taking decisions, the **Security Council proceeds** by voting. All members have one vote. However, the permanent members can vote in a negative manner so that even if all other permanent and nonpermanent members vote for a particular decision, any permanent member's negative vote can stall the decision. This negative vote is the veto.

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा-परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है। बहरहाल. स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार (वीटो) का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है. भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो।

## WHY INTERNATIONAL ORGANISATIONS?

While there has been a move to abolish or modify the veto system, there is also a realisation that the permanent members are unlikely to agree to such a reform. Also, the world may not be ready for such a radical step even though the Cold War is over. Without the veto, there is the danger as in 1945 that the great powers would lose interest in the world body, that they would do what they pleased outside it, and that without their support and involvement the body would be ineffective.

निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि स्थायी सदस्य एसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। शीतयुद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूल-चूल बदलाव के लिए तैयार न हो। इस बात का खतरा है कि 'वीटो' न हो तो सन् 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्रसंघ में न रहे; इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी न रह जाए।

The question of membership is a serious one. In addition, though, there are more substantial issues before the world. As the UN completed 60 years of its existence, the heads of all the member-states met in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation. The leaders in this meeting decided that the following steps should be taken to make the UN more relevant in the changing context. Creation of a Peace building **Commission Acceptance of the responsibility** of the international community in case of failures of national governments to protect their own citizens from atrocities **Establishment of a Human Rights Council** (operational since 19 June 2006) Agreements to achieve the Millennium Development Goals (MDGs) Condemnation of terrorism in all its forms and manifestations Creation of a **Democracy Fund An agreement to wind up the Trusteeship Council** 

सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है। लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालिगरह को मनाने के लिए 2005 के सितम्बर में इकट्ठे हुए। इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्रसंघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित

कदम उठाने का फैसला किया — शांति संस्थापक आयोग का गठन यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व-बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले — इस बात की स्वीकृति। मानवाधिकार परिषद् की स्थापना (2006 के 19 जून से सिक्रय)। सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेवेलपमेंट गोल्स) को प्राप्त करने पर सहमित। हर रूप-रीति के आतंकवाद की निंदा एक लोकतंत्र-कोष का गठन ट्रस्टीशिप काउंसिल (न्यासिता परिषद्) को समाप्त करने पर सहमित।

It is not hard to see that these are equally contentious issues for the UN. What should a Peacebuilding Commission do? There are any number of conflicts all over the world. Which ones should it intervene in? Is it possible or even desirable for it to intervene in each and every conflict? Similarly, what is the responsibility of the international community in dealing with atrocities? What are human rights and who should determine the level of human rights violations and the course of action to be taken when they are violated? Given that so many countries are still part of the developing world, how realistic is it for the UN to achieve an ambitious set of goals such as those listed in the Millennium Development Goals? Can there be agreement on a definition of terrorism? How shall the UN use funds to promote democracy? And so on.

यह समझना कठिन नहीं कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्रसंघ के लिए बड़े पेंचदार हैं। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? दुनिया में बहुत-से झगड़े चल रहे हैं। यह आयोग किसमें दखल दे? हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा? ठीक इसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व-बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? मानवाधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार-उल्लंघन हो रहा है? मानवाधिकार-उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाए - इसे कौन तय करेगा? बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा हैं। एसे में 'सहस्राब्दि विकास लक्ष्य' में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्या को मानक बनाना कहां तक व्यावहारिक है? क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकतंत्र को बढ़ावा

देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? एसे ही और भी

सवाल किए जा सकते हैं।

# INDIA AND THE UN REFORMS

India has supported the restructuring of the UN on several grounds. It believes that a strengthened and revitalised UN is desirable in a changing world. India also supports an enhanced role for the UN in promoting development and cooperation among states. India believes that development should be central to the UN's agenda as it is a vital precondition for the maintenance of international peace and security.

भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के ढाँचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्रसंघ की मज़बूती और दुढ़ता ज़रुरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के अजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह ज़रुरी पूर्व शर्त है।

# INDIA AND THE UN REFORMS

One of India's major concerns has been the composition of the Security Council, which has remained largely static while the UN General **Assembly membership has** expanded considerably. India considers that this has harmed the representative character of the Security Council. It also argues that an expanded Council, with more representation, will enjoy greater support in the world community

भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद् की संरचना को लेकर है। सुरक्षा-परिषद् की सदस्य संख्या स्थिर रही है जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद् के प्रतिनिधित्वमूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी और उसे विश्व-बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा।

We should keep in mind that the membership of the UN **Security Council was expanded** from 11 to 15 in 1965. But, there was no change in the number of permanent members. Since then, the size of the Council has remained stationary. The fact remains that the overwhelming majority of the UN General Assembly members now are developing countries. Therefore, India argues that they should also have a role in shaping the decisions in the Security Council which affect them.

हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्य संख्या सन् 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील सदस्य-देश हैं। इस कारण, सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है।

India supports an increase in the number of both permanent and non-permanent members. Its representatives have argued that the activities of the **Security Council have greatly** expanded in the past few years. The success of the Security Council's actions depends upon the political support of the international community. Any plan for restructuring of the **Security Council should,** therefore, be broad-based. For example, the Security Council should have more developing countries in it.

भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी. दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी का समर्थक है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा-परिषद् की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा-परिषद् के कामकाज की सफलता विश्व-बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए, उसमें अभी की अपेक्षा ज्यादा विकासशील देश होने चाहिए।

Not surprisingly, India itself also wishes to be a permanent member in a restructured UN. India is the second most populous country in the world comprising almost one-fifth of the world population. Moreover, India is also the world's largest democracy. India has participated in virtually all of the initiatives of the UN. Its role in the UN's peacekeeping efforts is a long and substantial one. The country's economic emergence on the world stage is another factor that perhaps justifies India's claim to a permanent seat in the Security Council. India has also made regular financial contributions to the UN and never faltered on its payments. India is aware that permanent membership of the Security Council also has symbolic importance. It signifies a country's growing importance in world affairs. This greater status is an advantage to a country in the conduct of its foreign policy: the reputation for being powerful makes you more influential.

आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा-परिषद् में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत में विश्व की कुल-जनसंख्या का 1/5वाँ हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की लगभग सभी पहलकदिमयों में भाग लिया है ।संयुक्त राष्ट्रसंघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक-शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चुका नहीं है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्त्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्त्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है।

Despite India's wish to be a permanent veto-wielding member of the UN, some countries question its inclusion. **Neighbouring Pakistan, with which** India has troubled relations, is not the only country that is reluctant to see India become a permanent veto member of the Security Council. Some countries, for instance, are concerned about India's nuclear weapons capabilities. Others think that its difficulties with Pakistan will make India ineffective as a permanent member.

अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका Çभाव "यादा होगा। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न (वीटोधारी) सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कततलब रहे हैं. बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद् में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए। मिसाल के लिए, कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अçभावी रहेगा।

Yet others feel that if India is included, then other emerging powers will have to be accommodated such as Brazil, Germany, Japan, perhaps even South Africa, whom they oppose. There are those who feel that Africa and South America must be represented in any expansion of the permanent membership since those are the only continents not to have representation in the present structure. Given these concerns, it may not be very easy for India or anyone else to become a permanent member of the UN in the near future.

कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अç्गेका को भी शामिल करना पडेगा जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अ**ç**ीका और दक्षिण अमरीका को "ारूर ¢तिनिधित्व मिलना चाहिए क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट²संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है

Among the concerns about the reform and restructuring of the UN has been the hope of some countries that changes could help the UN cope better with a unipolar word in which the US was the most powerful country without any serious rivals. Can the UN serve as a balance against US dominance? Can it help maintain a dialogue between the rest of the world and the US and prevent America from doing whatever it wants?

संयुक्त राष्ट्रसंघ के ढाँचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की यह आशा भी बँधी रही है कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्रसंघ एक-ध्वीय विश्व में जहां अमरीका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वन्द्वी भी नहीं -कारगर ढंग से काम कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ अमरीकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमरीका के बीच संवाद कायम करके अमरीका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है?

**US** power cannot be easily checked. First of all, with the disappearance of the Soviet Union, the US stands as the only superpower. Its military and economic power allow it to ignore US power cannot be easily checked. First of all, with the disappearance of the Soviet Union, the US stands as the only superpower. Its military and economic power allow it to ignore the UN or any other international organisation

अमरीका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमरीका एकमात्र महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघया किसी अन्य अंतर्राष्ट्रशेय संगठन की अनदेखी कर सकता है।

Secondly, within the UN, the influence of the US is considerable. As the single largest contributor to the UN, the US has unmatched financial power. The fact that the UN is physically located within the US territory gives Washington additional sources of influence. The US also has many nationals in the UN bureaucracy. In addition, with its veto power the US can stop any moves that it finds annoying or damaging to its interests or the interests of its friends and allies. The power of the US and its veto within the organisation also ensure that Washington has a considerable degree of say in the choice of the Secretary General of the UN. The US can and does use this power to "split" the rest of the world and to reduce opposition to its policies.

दूसरे, संयुक्त राष्ट्रसंघ के भीतर अमरीका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। अमरीका की वित्तीय ताकत बेजोड है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ अमरीकी भू-क्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमरीका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त, अगर अमरीका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है अथवा अमरीका को यह प्रस्ताव न जँचे तो अपने 'वीटो' से वह उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव के चयन में भी अमरीका की बात बहुत वज़न रखती है। अमरीका अपनी इस ताकत के बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता है, ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड जाए।

The UN is not therefore a great balance to the US. Nevertheless, in a unipolar world in which the US is dominant, the UN can and has served to bring the US and the rest of the world into discussions over various issues. US leaders, in spite of their frequent criticism of the UN, do see the organisation as serving a purpose in bringing together over 190 nations in dealing with conflict and social and economic development. As for the rest of the world, the UN provides an arena in which it is possible to modify US attitudes and policies. While the rest of the world is rarely united against Washington, and while it is virtually impossible to "balance" US power, the **UN** does provide a space within which arguments against specific US attitudes and policies are heard and compromises and concessions can be shaped.

इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमरीका की ताकत पर अंकुश लगाने में ख़ास सक्षम नहीं। फिर भी, एकध्वीय विश्व में जहां अमरीकी ताकत का बोलबाला है µ संयुक्त राष्ट्र²संघ अमरीका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने एसा किया भी है। अमरीकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक-आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्≗संघ के जरिए 190 राष्ट्≌ों को एक साथ किया जा सकता है। जहां तक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एसा मंच है जहां अमरीकी खैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वाशिंग्टन के विरु% शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है और अमरीका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह जगह है जहां अमरीका के किसी खास खैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कही-सोची जा सके।

The UN is an imperfect body, but without it the world would be worse off. Given the growing connections and links between societies and issues—what we often call 'interdependence'—it is hard to imagine how more than seven billion people would live together without an organisation such as the **UN. Technology promises to** increase planetary interdependence, and therefore the importance of the UN will only increase. Peoples and governments will have to find ways of supporting and using the UN and other international organisations in ways that are consistent with their own interests and the interests of the

intornational community more

संयुक्त राष्ट्रसंघ में थोड़ी कमियां हैं लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे 'पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसे संगठन के बिना विश्व के सात अरब से भी ज्यादा लोग कैसे रहेंगे। प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। इसलिए, संयुक्त राष्ट्रसंघ का महत्त्व भी निरंतर बढ़गा। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे -एसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों।